2024 है। पोर्टल के
त अभिलेख आवेदन
र्यालय से किसी भी
तथा आवेदन पत्र
in पर उपलब्ध है।
क/वन संरक्षक,
टाईगर रिजर्व
देहरादून

इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु UKSRS पोर्टल में पंजीकरण करना अनिवार्य है

का पंजीकरण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, जिस संदर्भ में खेल निदेशालय स्तर पर खेल हित एवं जनहित में लिये गये निर्णयानुसार बिन्दु संख्या 19 पर उल्लेखित शर्त /नियम में सभी आवेदकों का आवेदन UKSRS पोर्टल में पंजीकरण के बिना भी स्वीकार किया जायेगा।

निदेशक खेल

ढ़वाल

दिनांकः 29 अक्टूबर, 2024

विदा संख्या-03, वर्ष 2024-25
ना/ अन्य योजनाओं के लिये वर्ष
पोस्ट से घेरबाड़ का कार्य किया
र आमंत्रित की जाती है:-

ी की ानित त्रा	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)
0.00 मीटर मानित गत लाख		
	100000.00	4000.00 +720.00 (जी0एस0टी0)
0 नग मानित गत लाख		

अपराहन 1.00 बजे से दिनांक
ना कार्यालय में प्राप्त कराने का
के अपराह्न 2:30 बजे कार्यालय

ब्लॉक, प्रथम तल, विकास भवन

षि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46–बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
E-mail: msukpcb@yahoo.com दूरभाषः 0135-2607092

पत्रांकः यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./एन.ओ.सी.(पी.एच.)–8014/2024/ दिनांकः 29/10/2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री महेश सिंह भौरियाल एवं श्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम रामणी, तहसील घाट, जिला चमोली द्वारा ग्राम रामणी, तहसील घाट, जिला चमोली में प्रस्तावित रामणी सोपस्टोन खनन परियोजना की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना **14.09.2006** (यथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :–

1. जिलाधिकारी, जनपद चमोली या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो – लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25– सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46–बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–115, नेहरू कालोनी, देहरादून (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली (v) कार्यालय, जिला पंचायत चमोली (vi) जिला उद्योग केन्द्र, चमोली में उपलब्ध हैं, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति **www.ueppcb.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

श्री महेश सिंह भौरियाल एवं श्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम रामणी, तहसील घाट, जिला चमोली द्वारा ग्राम रामणी, तहसील घाट, जिला चमोली में प्रस्तावित रामणी सोपस्टोन खनन परियोजना की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक **02/12/2024 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड–19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टैंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।**

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–115, नेहरू कालोनी, देहरादून में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Amarujala. dt. 30/10/2024

Ahmula